भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 305

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2026

सोमवार, 13 माघ, 1947 (शक)

नए जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना

305. श्री केसिनेनी शिवनाथ: श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वीकृत और कार्यशील नए जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) जेएसएस चलाने वाली एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और कितने लोग प्रशिक्षित हुए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा नए जेएसएस की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार, कितनी रुचि अभिव्यक्तियां आमंत्रित की गई हैं; और

(घ) क्या सरकार की देश में और अधिक जेएसएस स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) एवं (ख): वर्तमान में, 26 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 294 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कर रहे हैं। इन जेएसएस को चलाने के उद्देश्य से, इन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत गैर-सरकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत किया गया है। कार्य कर रहे जेएसएस का राज्यवार ब्यौरा और प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। कार्यरत जेएसएस का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। चूंकि उपर्युक्त **अनुबंध-II** में विवरण बहुत लंबा है, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर अपलोड किया गया है।

जुलाई 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक, जेएसएस योजना के तहत कुल 34.14 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) देश में कौशल विकास के लिए नए जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) इस मंत्रालय द्वारा 22 मई 2023 को जारी की गई थी, हालांकि ईओआई को बाद में रद्द कर दिया गया था।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध-I

दिनांक 02.02.2026 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 305 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लखित अनुबंध

कार्यरत जेएसएस (राज्यवार) का ब्यौरा और प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य कर रहे जेएसएस की संख्या	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	1	7,360
2	आंध्र प्रदेश	6	80,248
3	अरुणाचल प्रदेश	0	726
4	असम	6	68,386
5	बिहार	21	2,29,447
6	चंडीगढ़	1	12,120
7	छत्तीसगढ	14	1,46,565
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	15,412
9	दिल्ली	3	40,609
10	गोवा	1	12,547
11	गुजरात	9	1,23,173
12	हरियाणा	2	53,750
13	हिमाचल प्रदेश	11	86,411
14	जम्मू और कश्मीर	2	13,236
15	झारखंड	13	1,02,540
16	कर्नाटक	12	1,43,999
17	केरल	9	1,18,023
18	लद्दाख	2	912
19	लक्षद्वीप	1	4,733
20	मध्य प्रदेश	29	3,66,982
21	महाराष्ट्र	21	2,75,214
22	मणिपुर	4	49,070
23	मेघालय	1	5,980
24	मिजोरम	1	6,591
25	नागालैंड	2	12,322
26	ओडिशा	29	3,11,556
27	पंजाब	2	22,653
28	राजस्थान	9	95,209
29	तमिलनाडु	9	1,00,901
30	तेलंगाना	6	79,622
31	त्रिपुरा	2	20,096
32	उत्तर प्रदेश	47	6,18,416
33	उत्तराखंड	8	94,994
34	पश्चिम बंगाल	8	94,378
	कुल योग	**294**	**34,14,181**
